

Representation to Teachers in State Legislative Councils

6633, SHRI S. A. DORAI SEBASTIAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the demand of the primary school teachers voiced in their recent Conference held in New Delhi in the second week of March, 1981 that they should be given representation in the Legislative Councils of the States;

(b) if so, whether Government are formulating a Constitution (Amendment) Bill for this purpose, following the assurance of the Law Minister given in this Conference that Government would give priority to such a Constitution (Amendment) Bill?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) Yes, Sir.

(b) No such assurance was given.

“एक्सप्लॉयटिंग आदल”

6634. श्री मूल चन्द डागा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1981 के “इंडियन एक्सप्रेस” में प्रकाशित संपादकीय “एक्सप्लॉयटिंग आदल” की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या संपादकीय टिप्पणियां तथ्यों से परिपूर्ण हैं, यदि हां, तो किस प्रकार से और यदि नहीं, तो क्यों ; और

(ग) क्या तेल की संभावना का पता लगाने के लिए विदेशी सहयोग के आगे चलकर भारत के लिए लाभप्रद होने

के स्थान पर अलाभकार सिद्ध होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) : दिनांक 10-2-81 को इंडियन एक्सप्रेस में छपा संपादकीय सरकार के ध्यान में आया है। संपादकीय के मुख्य विषय एवं इन विषयों से सम्बन्धित वास्तविक स्थिति नीचे दी गयी है :—

पेट्रोलियम मंत्रालय से विदेशी कम्पनियों द्वारा प्राप्त की गयी शर्तें घोषित हैं एवं इसके हानिकारक परिणाम होंगे। यह सत्य नहीं है। अभी तक किसी भी कम्पनी ने कोई शर्तें निर्देशित नहीं की है और अगर ऐसा है तो भी विदेशी कम्पनियों द्वारा दर्शायी गयी शर्तों को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता। इसके बजाए, किसी विदेशी तेल कम्पनी के अन्वेषण के ठेके के लिए प्रस्ताव पर सरकार द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों के आधार पर ही विचार किया जायेगा। जबकि यह सभी आंकाड़े विदेशी कम्पनियों को निःशुल्क दिये जाने हैं, उनके अपने सर्वेक्षणों के परिणाम केवल उनकी अपनी सन्धति रहेंगे। यह भी सत्य नहीं है। यह एक आधारभूत शर्त होगी कि तेल कम्पनियों द्वारा व्युत्पन्न आंकाड़ों सहित सभी आंकाड़े तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को उपलब्ध कराये जायेंगे।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्रबंधों से अलग रखा गया है। यह भी सत्य नहीं है। इस के विपरीत यह अपेक्षा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग प्रबंध तथा परिचालन